

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय



ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026

सार-संक्षेप — एक प्रस्तुति

अधिसूचित

27 जनवरी 2026

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत

लागू तिथि

1 अप्रैल 2026

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 का स्थान लेते हुए

मुख्य लक्ष्य

लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट

चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से

बदलाव: "एकत्र करो — फेंको — भूल जाओ" से पृथक्करण, जवाबदेही और डिजिटल अभिशासन की ओर।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत MoEFCC द्वारा अधिसूचित · SWM नियम, 2016 के स्थान पर · 1 अप्रैल 2026 से लागू

अपशिष्ट पृथक्करण — चार श्रेणियाँ, स्रोत पर अनिवार्य



गीला कचरा

रसोई व खाद्य अपशिष्ट, छिलके

→ कम्पोस्ट / बायो-मीथेनेशन



सूखा कचरा

प्लास्टिक, कागज़, धातु, काँच

→ मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी



सैनिटरी कचरा

डायपर, नैपकिन, आदि

→ लपेटकर अलग रखें



विशेष देखभाल कचरा

बैटरी, बल्ब, दवाइयाँ

→ केवल अधिकृत एजेंसियाँ



थोक अपशिष्ट उत्पादक (BWG)

किसी भी एक सीमा को पूरा करने पर लागू:



निर्मित क्षेत्र
≥ 20,000 वर्ग मीटर



जल उपयोग
≥ 40,000 लीटर/दिन



अपशिष्ट
≥ 100 किग्रा/दिन

EBWGR (विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व): गीले कचरे का स्थल पर प्रसंस्करण करें, या उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करें। BWG = कुल कचरे का ~30%।



प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक के कर्तव्य

- ✓ कचरे को स्रोत पर चार श्रेणियों में अलग करें — कभी न मिलाएँ।
- ✓ केवल अधिकृत संग्राहकों को निर्धारित समय पर सौंपें; न फैलाएँ, न जलाएँ, न डंप करें।
- ✓ सैनिटरी व विशेष-देखभाल कचरा सुरक्षित रखें; निर्दिष्ट एजेंसियों को दें।
- ✓ निर्धारित उपयोक्ता शुल्क चुकाएँ; अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (प्रदूषक भुगतान करे) लागू।

नियम क्या अनिवार्य करते हैं

प्रदूषक की ज़िम्मेदारी, डिजिटल अभिशासन, सख्त लैंडफिल नियम और पुराने डंप का उपचार



प्रदूषक भुगतान करे

01

- अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति — बिना पंजीकरण संचालन, गलत रिपोर्टिंग या अनुचित निपटान पर।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा PENALTY लगाई जाएगी।



डिजिटल अभिशासन (Digital Governance)

02

- एक एकीकृत CPCB ऑनलाइन पोर्टल उत्पादन से निपटान तक कचरे की निगरानी करता है।
- सार्वजनिक डेटा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।



लैंडफिल पर सख्त सीमाएँ

03

- केवल निष्क्रिय व गैर-पुनर्चक्रणीय अवशेष (INERT) ही लैंडफिल में जा सकते हैं।
- गीला और निर्माण कचरा वर्जित।
- मिश्रित, अपृथक्कृत कचरे पर अधिक शुल्क।



पुराने डंपसाइटों का समापन

04

- सभी पुराने डंपसाइटों का अक्टूबर 2026 तक मानचित्रण व आकलन,
- समयबद्ध बायोमाइनिंग व बायोरेमेडिएशन और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

(19.02.2026, 05.05.2026 & 25.05.2026)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6174/2023 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के क्रियान्वयन हेतु बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने SBM-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य-व्यापी अनुपालना एवं रिपोर्टिंग ढाँचे के माध्यम से इन निर्देशों पर कार्यवाही की है।

निर्वाचित प्रतिनिधि — लीड फैसिलिटेटर

सरपंच, वार्ड पंच एवं PRI सदस्यों को स्रोत पृथक्करण जागरूकता हेतु नामित (पैरा 7.1)।



जिला कलक्टर को सशक्त बनाना

SWM क्रियान्वयन की निगरानी, ज़िला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ का गठन, मासिक अनुपालना समीक्षा (पैरा 4)।



चार-स्तरीय पृथक्करण

अनिवार्य दृष्टिकोण: गीला, सूखा, सेनेटरी एवं विशेष देखभाल अपशिष्ट (01.04.2026 से)।

अनुवाद एवं प्रसार

आदेश एवं SWM नियमों का सारांश क्षेत्रीय भाषा में सभी परिवारों तक (पैरा 20)।



फोटोग्राफिक अनुपालना

स्थानीय निकायों द्वारा साप्ताहिक अनुपालना रिपोर्ट के साथ जियो-टैग्ड साक्ष्य ईमेल किए जाएँगे।



पाठ्यक्रम में समावेश

शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में SWM का समावेश; प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार आरंभ।

प्रथम चरण अनुपालना — प्रशासनिक एवं संप्रेषण कार्यवाहियाँ

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत राज्य-स्तर पर कृत प्रमुख कार्यवाहियाँ



समस्त जिला कलक्टरों को आदेश प्रेषित

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.05.2026 एवं 08.05.2026 को सभी जिला कलक्टरों को औपचारिक पत्र जारी कर आयुक्त, BDO, पंचायत सचिव एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों तक आदेशों के अग्रिम प्रसार हेतु निर्देशित किया गया।

पैरा 7(1) — अनुपालित



निर्वाचित प्रतिनिधि — लीड फैसिलिटेटर

जिला प्रमुख, ZP सदस्य, प्रधान, PS सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंच को स्रोत पृथक्करण हेतु लीड फैसिलिटेटर नामित किया गया। आदेश राज काज संदर्भ संख्या 21871202 दिनांक 28.04.2026 द्वारा जारी।

पैरा 7(1) — अनुपालित



हिंदी में अनुवाद एवं प्रसार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं SWM नियम, 2026 का सारांश संस्करण हिंदी में तैयार कर समस्त CEO / BDO / DPC / BC को घर-घर तक प्रसार हेतु कॉल, सूचना एवं सोशल मीडिया के माध्यम से परिचालित किया गया।

पैरा 20 — अनुपालित



जिला कलक्टर के अधीन विशेष प्रकोष्ठ

सभी जिलों में जिला कलक्टर के अधीन समर्पित 'विशेष प्रकोष्ठ' के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ — SWM क्रियान्वयन की निगरानी एवं उल्लंघनकर्ता बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु।

पैरा 4 — प्रगति पर

निदेशालय, SBM-G द्वारा जारी पत्र

दिनांक 08.04.2026 से 08.05.2026 के मध्य CEO / जिला कलक्टर को जारी सात औपचारिक निर्देश

क्र.सं.	प्रेषिती	संदर्भ संख्या	दिनांक	विषय / निर्देश
1	CEOs	21871202	28.04.2026	SWM नियम, 2026 (पृष्ठ 41, बिन्दु 40) के अनुसार स्थानीय निकायों के कर्तव्य — प्रारंभिक सूचना; नियमों की प्रति संलग्न
2	CEOs	21953838	01.05.2026	जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को जागरूक करना; BWG का पंजीकरण; कचरे का 04 प्रकार से वर्गीकरण (सूखा, गीला, सेनेटरी, विशेष देखभाल)
3	CEOs	21954558	01.05.2026	जिला कलक्टर/DM, जिला परिषदों एवं ग्राम पंचायतों के कर्तव्य
4	जिला कलक्टर	21955566	01.05.2026	जिला कलक्टर/DM, जिला परिषदों एवं ग्राम पंचायतों के कर्तव्य
5	CEOs	21956021	01.05.2026	बल्क वेस्ट जनरेटर (BWGs) की पहचान एवं विनियमन
6	CEOs	21956029	01.05.2026	जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को नियमों की जानकारी उपलब्ध कराना एवं जागरूक करना
7	जिला कलक्टर	22013659	08.05.2026	SWM नियम, 2026 — जागरूकता, क्रियान्वयन, संग्रहण, पृथक्करण, निस्तारण, BWG, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग
8	जिला कलक्टर	22580390	04.06.2026	ज़िलाधीश महोदय की अध्यक्षता में SWM के लिए Special Cell का गठन
9	CEOs	22713501	08.06.2026	केंद्र सरकार के निर्देशों की बिंदुवार अनुपालना के क्रम में
10	CEOs	22822076	17.06.2026	बल्क वेस्ट जनरेटर (BWGs) की पहचान एवं विनियमन
11	CEOs	22950194	19.06.2026	Legacy Waste Dumpsite का चिन्हीकरण एवं निस्तारण

परिणाम: समस्त जिला कलक्टर, CEO (जिला परिषद) एवं BDO को औपचारिक निर्देश जारी किए गए — जिससे SWM नियम, 2026 के अंतर्गत अनुपालना की पूर्ण प्रशासनिक श्रृंखला स्थापित हुई है।

जिला स्तर पर प्रमुख अनुपालन



शासन एवं समिति

- जिलाधिकारी द्वारा निकायों एवं ग्राम पंचायतों की त्रैमासिक समीक्षा।
- पर्यवेक्षण हेतु **विशेष प्रकोष्ठ का गठन**, जिसमें SPCB के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हों।



अधिकार एवं प्रवर्तन

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कलेक्टर को एक वर्ष हेतु शक्तियाँ।
- उल्लंघनकर्ता बल्क वेस्ट जेनरेटर की जल एवं विद्युत आपूर्ति निलंबित करने का अधिकार।



ऑडिट एवं निगरानी

- SWM अवसंरचना का ऑडिट।
- फोटोग्राफिक साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट।
- चिह्नित कमियों व सुधारात्मक कदमों की मुख्य सचिव को समयबद्ध रिपोर्टिंग।



अवसंरचना एवं डिजिटल अभिशासन (Assets & Digital Governance)

- सभी निकायों व ग्राम पंचायतों का CPCB केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण।
- मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF)/ RRC,
- चार कक्षीय कचरा संग्रहण वाहन



लिगेसी वेस्ट

- सभी पुराने डंपसाइट का भौगोलिक मानचित्रण एवं आकलन अक्टूबर 2026 तक।
- समयबद्ध बायोमाइनिंग एवं बायोरेमेडिएशन तथा पोर्टल पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट।



अभिसरण एवं प्रोत्साहन (Convergence)

- SBM-G, वित्त आयोग अनुदान, VB-G RAM G, CSR एवं PPP का वित्तीय अभिसरण।
- मानव संसाधन की समीक्षा व समर्पित सफाई संवर्ग।
- निष्पादन-आधारित अनुदान
- उल्लंघनकर्ता निकायों पर दंड।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख अनुपालन



मूल वैधानिक दायित्व

- ग्राम पंचायत द्वारा गाँव स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना एवं क्रियान्वयन।
- खुले में डंपिंग एवं अपशिष्ट जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित।
- SBM-G (ODF Plus Model) के SLWM घटकों — कम्पोस्ट गड्ढे, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, गोबरधन — के साथ समन्वय।



4-श्रेणीयों में पृथक्करण

- स्रोत पर गीला, सूखा, सैनिटरी व विशेष देखभाल अपशिष्ट का पृथक्करण।
- घर-घर संग्रह।
- गीला अपशिष्ट निकटतम सुविधा पर कम्पोस्ट या बायो-मीथेनेशन।



नागरिक सहभागिता व IEC

- निर्वाचित प्रतिनिधि सुविधाप्रदाता — प्रत्येक नागरिक का नामांकन वैधानिक कर्तव्य।
- होम कम्पोस्टिंग जागरूकता।
- नियमों का स्थानीय भाषा में अनुवाद।



उपनियम, शुल्क व रिपोर्टिंग

- मार्च 2027 तक उपनियम बनाएँ/अद्यतन करें।
- उपयोगकर्ता शुल्क एवं जुर्माना।
- पोर्टल पर रिटर्न दाखिल।
- फोटो साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट जिलाधिकारी को।



प्रवर्तन (Enforcement)

- तीन-स्तरीय प्रवर्तन।
- प्रारंभिक उल्लंघन पर तत्काल जुर्माना।
- निरंतर उल्लंघन पर आपराधिक अभियोजन।
- निष्क्रिय अधिकारियों की भी व्यक्तिगत जवाबदेही।

समयबद्ध कार्य योजना — अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित चरणबद्ध क्रियान्वयन ढाँचे के अनुरूप (पैरा 22)



अल्पकालिक

31 अक्टूबर 2026 तक

- 100% जिलों में ज़िलाधीश के अधीन विशेष प्रकोष्ठ गठन
- 50% BWG चिन्हित एवं पंजीकृत
- 100% लीगेसी डंपसाइट का आकलन
- 15% GP में 4-स्तरीय पृथक्करण
- 50% GP में घर-घर संग्रहण
- RLB द्वारा 50% उप-विधि अधिसूचित

ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 की अनुपालना

Sr. No.	District Name	Special Cell under SWM Rule-26	No. of Bulk Waste Generator identified and listed	No. of Legacy Waste Dumpsites identified and listed
1	AJMER	Yes	10	0
2	ALWAR	No	17	0
3	BALOTRA	No	12	0
4	BANSWARA	Yes	116	0
5	BARAN	No	1	0
6	BARMER	No	19	0
7	BEAWAR	No	0	0
8	BHARATPUR	No	4	0
9	BHILWARA	No	116	0
10	BIKANER	Yes	0	0
11	BUNDI	No	39	0
12	CHITTORGARH	Yes	4	0
13	CHURU	No	1	0
14	DIDWANA-KUCHAMAN	No	0	0
15	DAUSA	No	15	0
16	DEEG	No	0	0
17	DHOLPUR	No	0	0
18	DUNGARPUR	No	5	0
19	GANGANAGAR	Yes	105	0
20	HANUMANGARH	No	2	0
21	JAIPUR	No	20	0

Sr. No.	District Name	Special Cell under SWM Rule-26	No. of Bulk Waste Generator identified and listed	No. of Legacy Waste Dumpsites identified and listed
22	JAISALMER	No	0	0
23	JALORE	No	0	0
24	JHALAWAR	No	0	0
25	JHUNJHUNU	Yes	18	0
26	JODHPUR	No	26	0
27	KARAULI	Yes	21	0
28	KHAIRTHAL-TIJARA	No	1	0
29	KOTA	No	7	0
30	KOTPUTLI-BEHROR	No	1	0
31	NAGAU	No	0	0
32	PALI	Yes	2	0
33	PHALODI	No	0	0
34	PRATAPGARH	Yes	0	0
35	RAJSAMAND	Yes	0	0
36	SALUMBAR	Yes	4	0
37	SAWAI MADHOPUR	No	6	0
38	SIKAR	No	3	0
39	SIROHI	No	2	0
40	TONK	No	2	0
41	UDAIPUR	Yes	8	0
	Total	12	587	0

समयबद्ध कार्य योजना — अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित चरणबद्ध क्रियान्वयन ढाँचे के अनुरूप (पैरा 22)



मध्यकालिक

31 मार्च 2027 तक

- 80% BWG राज्य-व्यापी चिन्हित
- 75% लीगेसी अपशिष्ट का उपचार
- 30% GP में 4-स्तरीय पृथक्करण
- 70% GP में घर-घर संग्रहण
- 100% उप-विधि अधिसूचित
- 80% ऑनलाइन शिकायत निवारण

समयबद्ध कार्य योजना — अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित चरणबद्ध क्रियान्वयन ढाँचे के अनुरूप (पैरा 22)



दीर्घकालिक

31 मार्च 2029 तक

- 100% BWG चिन्हीकरण
- 100% लीगेसी अपशिष्ट उपचार
- 100% GP में 4-स्तरीय पृथक्करण
- 100% घर-घर संग्रहण
- 100% अपशिष्ट प्रसंस्करण
- पूर्ण शिकायत निवारण कवरेज

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रगति एवं कमी के आकलन के प्रमाणन हेतु जिला-स्तरीय सार-प्रारूप

(माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.05.2026 के आदेश के पैरा 6 के अनुसार)

A. पंचायती राज विभाग

1. SBM(G) के अंतर्गत SWM व्यवस्था से पूर्णतः आच्छादित GP की संख्या (एवं %)।*
2. अपशिष्ट का 2-तरफ़ा स्रोत पृथक्करण करने वाले GP की संख्या (1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार)।
3. अपशिष्ट का 4-तरफ़ा स्रोत पृथक्करण करने वाले GP की संख्या (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी)।
4. 100% घर-घर अपशिष्ट संग्रहण करने वाले GP की संख्या (एवं %)।
5. SBM(G) के अंतर्गत अथवा अभिसरण के माध्यम से GP में SWM हेतु निर्मित सभी परिसंपत्तियाँ, PWMU सहित, क्रियाशील हैं या नहीं (हाँ/नहीं)?
6. यदि उपर्युक्त (4) का उत्तर 'नहीं' है, तो क्या संबंधित GP द्वारा क्रियाशीलता बहाल करने हेतु कार्रवाई की जा रही है और इसकी राज्य स्तर पर निगरानी की जा रही है (हाँ/नहीं – सारांश सहित)।
7. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (PWMU) का विवरण:
 - a. SBM(G) के अंतर्गत ग्रामीण PWMU / शहरी MRF से मैप किए गए ग्रामीण ब्लॉकों की संख्या।*
 - b. PWMU / MRF से मैप किए जाने हेतु शेष ग्रामीण ब्लॉक।*
8. क्या सभी GP में दृश्य स्वच्छता — पर्यटन स्थल, तीर्थ केंद्र, पर्यटन-केंद्रित समुद्र तट आदि अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों सहित — सुनिश्चित की जा रही है और इसकी जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है (हाँ/नहीं)?

[* नोट: डेटा SBM(G) के अंतर्गत राज्य द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति के अनुरूप हो।]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रगति एवं कमी के आकलन के प्रमाणन हेतु जिला-स्तरीय सार-प्रारूप

(माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.05.2026 के आदेश के पैरा 6 के अनुसार)

A. पंचायती राज विभाग

1. क्या जिले के सभी GP ने SWM नियम, 2026 के अनुपालन हेतु SWM संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए अपने GPDP को संरेखित किया है?
2. थोक अपशिष्ट उत्पादक@:
 - a. जिले में ऐसे GP की संख्या (एवं %) जिन्होंने थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान एवं पंजीकरण किया है।
 - b. ऐसे GP की संख्या (एवं %) जहाँ सभी गाँवों (यथालागू) ने थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान एवं पंजीकरण किया है।
3. ऐसे GP की संख्या जिन्होंने SWM नियम, 2026 के अनुपालन पर अपने वार्ड सदस्यों का क्षमता-निर्माण / प्रशिक्षण कराया है।
4. ऐसे GP की संख्या (एवं %) जहाँ लीड फैसिलिटेटर्स को संवेदनशील बनाया गया है।
5. RLB में जनशक्ति उपलब्धता:
 - a. ऐसे RLB की संख्या जहाँ सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं।
 - b. रिक्त पद वाले RLB की संख्या।
 - c. पूर्णकालिक पंचायत सचिव रहित GP की संख्या।
 - d. RLB में रिक्तियों को भरने हेतु जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई (यथालागू)।
6. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिह्नित लीगेसी अपशिष्ट डंपसाइटों की संख्या

[@नोट: CPCB निगरानी पोर्टल पर किया जाना है।]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रगति एवं कमी के आकलन के प्रमाणन हेतु जिला-स्तरीय सार-प्रारूप

(माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.05.2026 के आदेश के पैरा 6 के अनुसार)

B. ग्रामीण विकास विभाग

1. VB G – RAM G के अंतर्गत:
 - a. VB G – RAM G के अंतर्गत जिले (सभी GP) के लिए उपलब्ध कुल निधि।
 - b. जिले के सभी जिलों / GP में माह के दौरान SWM संबंधी कार्यों पर व्यय की गई निधि की राशि।
2. जिले में सक्रिय SHG की संख्या, जिनमें से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में लगे SHG की संख्या।
3. प्रशिक्षण कैलेंडर के अंतर्गत जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन / SWM नियम, 2026 से संबंधित कितने प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं?

नोट: भारत सरकार से SBM(G) फेज़-II के अंतर्गत सहायता केवल 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी। तथापि, 15वें वित्त आयोग तथा MoRD एवं MoPR की अन्य योजनाओं के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध निधि जिलों के पास उपलब्ध रहती रहेगी।

घर-घर कचरा संग्रहण की प्रगति

Sr. No.	District Name	Total No. of GPs	घर-घर कचरा संग्रहण का माध्यम					नये एवं पुराने निर्देशों के अनुसार निविदा की स्थिति			ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा संग्रहण की स्थिति				
			संवेदक	SHG	ग्राम पंचायत	कुल	शेष ग्रा.पं.	पूर्व के निर्देशानुसार	नये निर्देशानुसार		प्रतिदिन	Total		कार्य नहीं किया जा रहा	% of Daily D2D Collection in GPs
									प्रक्रिया धीन	कार्यदिश जारी		अन्य दिनों में (2-3 दिन, साप्ताहिक, 15 दिन, मासिक)	कुल		
1	RAJSAMAND	213	107	0	106	213	0	178	0	35	213	0	213	0	100.00%
2	SAWAI MADHOPUR	224	187	0	37	224	0	224	123	0	224	0	224	0	100.00%
3	BARAN	231	198	0	33	231	0	206	0	25	230	1	231	0	99.57%
4	BIKANER	364	202	0	162	364	0	365	53	1	362	0	362	2	99.45%
5	PALI	260	178	0	82	260	0	261	88	0	258	1	259	1	99.23%
6	SIROHI	169	56	0	112	168	1	150	0	20	167	2	169	0	98.82%
7	JHUNJHUNU	328	197	0	131	328	0	328	0	0	324	4	328	0	98.78%
8	DIDWANA-KUCHAMAN	235	233	0	1	234	1	236	0	0	232	2	234	1	98.72%
9	PHALODI	231	125	0	106	231	0	231	20	0	228	3	231	0	98.70%
10	CHITTORGARH	294	115	23	156	294	0	298	298	0	290	1	291	3	98.64%
11	GANGANAGAR	340	288	18	33	339	1	344	0	0	335	1	336	4	98.53%
12	JAISALMER	186	185	0	0	185	1	185	179	1	183	3	186	0	98.39%
13	JODHPUR	404	346	0	57	403	1	410	11	0	397	7	404	0	98.27%
14	DAUSA	274	185	4	83	272	2	279	0	0	267	1	268	6	97.45%
15	KHAIRTHAL-TIJARA	148	127	14	7	148	0	152	0	0	144	2	146	2	97.30%
16	BHARATPUR	213	0	209	0	209	4	215	0	0	207	5	212	1	97.18%
17	DHOLPUR	186	183	0	3	186	0	188	104	0	180	4	184	2	96.77%
18	BARMER	402	330	0	71	401	1	406	0	0	388	10	398	4	96.52%
19	ALWAR	286	254	21	11	286	0	292	0	0	276	4	280	6	96.50%
20	BHILWARA	373	230	0	142	372	1	376	25	0	359	12	371	2	96.25%
21	SALUMBAR	154	119	0	35	154	0	155	0	0	148	6	154	0	96.10%

घर-घर कचरा संग्रहण की प्रगति

Sr. No.	District Name	Total No. of GPs	घर-घर कचरा संग्रहण का माध्यम					नये एवं पुराने निर्देशों के अनुसार निविदा की स्थिति			ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा संग्रहण की स्थिति				
			संवेदक	SHG	ग्राम पंचायत	कुल	शेष ग्रा.पं.	पूर्व के निर्देशानुसार	नये निर्देशानुसार		प्रतिदिन	Total		कार्य नहीं किया जा रहा	% of Daily D2D Collection in GPs
									प्रक्रिया धीन	कायदेशि जारी		अन्य दिनों में (2-3 दिन, साप्ताहिक, 15 दिन, मासिक)	कुल		
22	DUNGARPUR	353	302	0	50	352	1	353	0	0	338	15	353	0	95.75%
23	JHALAWAR	251	230	0	21	251	0	254	93	0	240	10	250	1	95.62%
24	TONK	228	217	0	11	228	0	235	0	0	218	3	221	7	95.61%
25	CHURU	304	280	0	24	304	0	304	304	0	290	14	304	0	95.39%
26	KARAULI	238	217	0	21	238	0	240	215	0	227	9	236	2	95.38%
27	JALORE	304	38	0	265	303	1	304	54	1	288	16	304	0	94.74%
28	BALOTRA	277	274	0	3	277	0	282	73	0	261	11	272	5	94.22%
29	AJMER	234	167	0	67	234	0	238	1	0	220	10	230	4	94.02%
30	BEAWAR	176	148	0	28	176	0	183	39	1	165	3	168	8	93.75%
31	DEEG	368	8	342	12	362	6	370	0	0	338	28	366	2	91.85%
32	UDAIPUR	466	372	0	93	465	1	491	0	0	426	15	441	25	91.42%
33	NAGOUR	254	252	0	1	253	1	261	0	0	231	16	247	7	90.94%
34	PRATAPGARH	234	180	30	23	233	1	172	63	62	211	23	234	0	90.17%
35	HANUMANGARH	264	244	0	19	263	1	268	88	0	233	27	260	4	88.26%
36	SIKAR	354	99	0	254	353	1	373	55	0	305	30	335	19	86.16%
37	JAIPUR	460	263	0	162	425	35	498	0	0	362	98	460	0	78.70%
38	KOTA	153	73	0	79	152	1	155	61	0	120	31	151	2	78.43%
39	BUNDI	182	129	0	53	182	0	135	110	47	135	47	182	0	74.18%
40	KOTPUTLI-BEHROR	170	138	0	30	168	2	193	0	0	119	36	155	15	70.00%
41	BANSWARA	415	228	0	187	415	0	417	364	0	269	144	413	2	64.82%
	Total	11200	7704	661	2771	11136	64	11205	2421	193	10408	655	11063	137	92.93%

प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन की प्रगति

Sr. No.	District	No. of Total Block in District	No. of Blocks Rural PWMU Proposed	No. of Covered Blocks with Rural PWMUs	FS Issued Rural PWMUs	No. of Urban MRF in District	Coverage Blocks Linked With Urban MRF As per Portal (MR-52)	Pending Block's
1	AJMER	9	2	5	2	3	2	2
2	ALWAR	9	2	2	2	2		7
3	BALOTRA	9	1	5	1	1		4
4	BANSWARA	11	2	4	1	1		7
5	BARAN	8	2	2	2	0		6
6	BARMER	12	4	12	2	1		0
7	BEAWAR	5	1	2	1	0	2	1
8	BHARATPUR	7	2	2	0	2	1	4
9	BHILWARA	13	3	10	3	1	1	2
10	BIKANER	9	2	9	2	1	1	0
11	BUNDI	5	2	2	1	1	1	2
12	CHITTORGARH	11	2	6	1	3	3	2
13	CHURU	7	5	7	1	6	3	0
14	DAUSA	11	2	7	2	0		4
15	DEEG	5	3	1	0	0		4
16	DHOLPUR	6	1	1	1	1	1	4
17	DIDWANA-KUCHAMAN	7	1	7	0	0	2	0
18	DUNGARPUR	10	2	8	2	2	2	0
19	GANGANAGAR	9	2	9	0	0		0
20	HANUMANGARH	7	1	1	1	1	1	5
21	JAIPUR	19	4	11	4	2	2	6

Sr. No.	District	No. of Total Block in District	No. of Blocks Rural PWMU Proposed	No. of Covered Blocks with Rural PWMUs	FS Issued Rural PWMUs	No. of Urban MRF in District	Coverage Blocks Linked With Urban MRF As per Portal (MR-52)	Pending Block's
22	JAISALMER	6	2	6	2	2	2	0
23	JALORE	10	2	7	2	1		3
24	JHALAWAR	8	1	3	0	1	1	4
25	JHUNJHUNU	11	2	4	2	3	2	5
26	JODHPUR	14	2	10	2	4	3	1
27	KARAULI	8	1	4	1	1		4
28	KHAIRTHAL-TIJARA	4	1	1	1	0		3
29	KOTA	5	5	5	1	0		0
30	KOTPUTLI-BEHROR	6	2	2	2	0		4
31	NAGAU	8	1	8	0	4	1	0
32	PALI	8	4	8	3	3		0
33	PHALODI	8	2	7	1	0		1
34	PRATAPGARH	8	1	8	1	1		0
35	RAJSAMAND	8	1	3	1	2	3	2
36	SALUMBAR	6	2	6	2	1		0
37	SAWAI MADHOPUR	7	3	5	1	2	2	0
38	SIKAR	12	2	11	1	2	2	0
39	SIROHI	5	2	2	2	3	4	0
40	TONK	7	1	3	0	2		4
41	UDAIPUR	14	6	14	2	2	3	0
	Total	352	89	230	56	62	45	91



धन्यवाद

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार